



महात्मा ज्योतिबा फुले
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

दिनांक:-09.01.2025

पत्रांक:रू.वि./गोप./प्रयो.मौ./2025/1716-1723

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

विषय:- नई शिक्षा नीति-2020 से अच्छादित स्नातक/स्नातकोत्तर (स्नातक स्तर बी0ए0, बी0एस-सी, बी0कॉम, बी0बी0ए0 प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर स्तर एम0ए0, एम0एस-सी0, एम0कॉम प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर) इत्यादि पाठ्यक्रमों की विषम सेमेस्टर 2024-25 की बाह्य प्रयोगात्मक/आन्तरिक परीक्षा सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

नयी शिक्षा नीति-2020 से अच्छादित स्नातक/स्नातकोत्तर (स्नातक स्तर बी0ए0, बी0एस-सी, बी0कॉम, बी0बी0ए0 प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर स्तर एम0ए0, एम0एस-सी0, एम0कॉम प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर) इत्यादि विषम सेमेस्टर सत्र 2024-25 की प्रयोगात्मक परीक्षाएँ आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षक आमंत्रित कर सम्पन्न करायी जानी है। परीक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में पत्रांक:रू.वि./गोप./प्रयो.मौ./2024/2302-2309 दिनांक 15.04.2024 के अनुसार समस्त प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न करायी जानी है। समस्त महाविद्यालय दिनांक 13.01.2025 से 15.02.2025 तक प्रत्येक दशा में समस्त प्रयोगात्मक/आन्तरिक परीक्षा सम्पन्न करा लें, किसी भी स्थिति में तिथि समाप्ति के पश्चात अंकों को ऑनलाइन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वेबसाइट बन्द कर दी जायेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न निर्देशों का पालन भी महाविद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जाना है:-

1. प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा अंकपत्र की दो प्रति तैयार की जायेंगी तथा उनकी हार्ड कॉपी महाविद्यालय में ही सुरक्षित रखी जायेंगी, अंक केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही स्वीकार्य होंगे। विश्वविद्यालय को आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय को सम्बन्धित अंकपत्र की मूल प्रति उपलब्ध करानी होगी। उन्हें किसी भी माध्यम से विश्वविद्यालय प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
2. सभी प्रकार की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाएँ चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) से अच्छादित हैं, अतः प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तरपुस्तिका सुरक्षित रखी जायें तथा विश्वविद्यालय द्वारा मॉर्गे जाने पर तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
3. परीक्षकों को पूर्व की भाँति नियमानुसार पारिश्रमिक देय होगा।
4. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17.12.2008 में लिये गये निर्णयानुसार प्रयोगात्मक परीक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं के सील्ड पैकेट पृथक से विश्वविद्यालय द्वारा मॉर्गे जा सकते हैं।

भवदीय


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. डा0 अमित सिंह, मीडिया प्रभारी।
2. उप-कुलसचिव (गोपनीय)।
3. वै0 सहायक, कुलसचिव।
4. प्रशासनिक अधिकारी (गोपनीय)।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. प्रभारी, ऑनलाइन एजेन्सी।
7. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक